

आईआईबीएफ विज्ञान

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 8

अंक सं. :10

मई, 2016

पृष्ठों की सं 12

दर्शन (विज्ञान): "बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक विकसित और शिक्षित करना।

ध्येय (मिशन) : "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।"

इस अंक में

मुख्य घटनाएं -----	2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-----	2
बैंकिंग जगत की घटनाएं-----	3
विनियामकों के कथन -----	5
अर्थव्यवस्था -----	6
नयी नियुक्तिया -----	6
उत्पाद एवं गठजोड -----	7
शब्दावली -----	7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -----	7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां -----	7
संस्थान समाचार -----	8
बाजार की खबरें -----	9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मद्दे सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मद्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मद्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र सुगम बनाने हेतु नया ऑनलाइन प्लेटफार्म

अब बैंक हालही में शुरू किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्लेटफार्म के जरिये जो उसके कोर बैंकिंग समाधान (CBS) पोर्टल ई-कुबेर के माध्यम से प्रमाणपत्रों के क्रय-विक्रय में समर्थ बनाएगा, चार प्रकार के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (PSLCs) यथा- कृषि, लघु एवं सीमांत कृषक, सूक्ष्म उद्यम और सामान्य- खरीदने और बेचने में समर्थ होंगे। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंक (उनके परिचालनरत हो जाने पर) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक इस क्रय-विक्रय में सहभागिता करने के पात्र हैं। इन प्रमाणपत्रों का मानक लॉट आकार 5 लाख रुपये और उसके गुणजों वाला होगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बाह्य वाणिज्यिक उधार के मानदंड सरलीकृत, मूलभूत सुविधा फर्म जुटा सकती हैं अपेक्षाकृत अल्पावधि सावधि ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) ढांचे में कुछेक संशोधन की सूचना दी है, जिसके द्वारा मूलभूत सुविधा फर्मों को अपेक्षाकृत अल्पावधि सावधि ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है। मूलभूत सुविधा क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां - मूलभूत सुविधा वित्त कम्पनियां (NBFCs- IFCs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां - आर्स्टि वित्त कम्पनियां (NBFCs-AFCs), नियंत्रक कम्पनियां और मुख्य निवेश कम्पनियां (CICs) इस ढांचे के ट्रेक 1 के तहत पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की पात्र होंगी। पुनर्वितीयन के समग्र लागत सहित (all-in-cost) कमतर दर पर होने तथा उधारकर्ता के अवशिष्ट परिपक्वता को कम किए बिना बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने का पात्र होने पर अभिहित प्राधिकारी श्रेणी -I बैंक पूर्ववर्ती बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे के तहत जुटाए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वितीयन की अनुमति दे सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किए बीमे में स्वतः मार्ग के जरिये 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अधीन 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिसूचित किया है। सरकार की समीक्षा के अनुसरण में बीमा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत विदेशी निवेश की सीमा कुछेक शर्तों एवं निबन्धनों की शर्त पर 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है।

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश : निवेश सलाहकार व्यवसाय के लिए गठित करें सहायक कम्पनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवेश सलाहकार सेवाएं (IAS) प्रदान करने वाले बैंकों से हितों के किसी प्रकार के टकराव से बचने के लिए वैसा कार्य एक अलग सहायक कम्पनी के माध्यम से करने हेतु कहा है। निवेश सलाहकार सेवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा ईबीआई (निवेश परामर्शी) विनियम, 2013 के तहत परिभाषित और विनियमित होती है तथा इन कार्यकलापों को करने वाली संस्थाओं / कम्पनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि अब से बैंक निवेश सलाहकार सेवा विभागीय स्तर पर नहीं प्रदान कर सकते। वे यह कार्य यह सुनिश्चित करने के बाद कि बैंक और उस सहायक कम्पनी के बीच स्वतंत्र संव्यवहार (arm's length) वाला सम्बन्ध है, या तो इस उद्देश्य के लिए एक अलग ढांचे या फिर मौजूदा सहायक कम्पनियों में से किसी एक के माध्यम से कर सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में और निवेश कर सकते हैं

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को 4 अप्रैल, 2016 से 1.9 लाख करोड़ रुपये के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति दे दी गई है, जो मौजूदा 1, 795 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। प्रतिभूति-वार सीमाओं, इन सीमाओं से बाहर रह कर कूपनों के निवेश तथा इन निवेशों के तीन वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों तक सीमित होने सहित अन्य सभी मौजूदा शर्तें लागू होती रहेंगी।

नई उधार दर प्रणाली से वाणिज्यिक पत्रों की मांग में कमी आ सकती है

1 अप्रैल, 2016 से बैंकों द्वारा निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद इंडिया इंक शीघ्र ही अल्पावधि संसाधन जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्रों (CPs) के स्थान पर बैंक ऋण की दिशा में प्रस्थान कर सकता है। निधि-आधारित उधार दर की सीमांत

लागत के परिकलन में सभी परिचालन लागतों को ध्यान में रखा जाता है, जिसका अर्थ है अकुशल बैंक दंडित होंगे। इसके अलावा, आधार दर प्रणाली की तुलना में निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत बैंकों को उनकी अस्थिर दर वाली बर्हीं को पुनर्लिखित करने का लचीलापन प्रदान करती है। इन सब से निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत को वाणिज्यिक पत्र के बाज़ार में हाल ही में परिलक्षित परिमाणों के उछाल को बैंक ऋण की दिशा में सरणिकृत करने की प्रभविष्णुता प्राप्त हो जाती है।

कारबार संपर्कियों के लिए पाठ्यक्रम

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में नये और मौजूदा, दोनों ही कारबार संपर्कियों (BCs) के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पाठ्यक्रम तैयार करने का निश्चय किया है। प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक जून, 2016 के अंत तक आवश्यक रूपरेखा जारी करेगा। इस रूपरेखा के आधार पर भारतीय बैंक संघ (IBA) से कारबार संपर्कियों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की एक प्रणाली गठित करने का अनुरोध किया जाएगा।

रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्डों का निर्गमन 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी कम्पनी द्वारा किसी एक वित्त वर्ष में रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड जारी करके स्वतः मार्ग के अधीन उधार ली जा सकने वाली अधिकतम रकम 5,000 करोड़ रुपये होगी, 750 मिलियन अमरीकी डालर नहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समुचित निगरानी के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्याप्ति को बढ़ाने और एक गतिशील वातावरण में प्रवाहों की समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को संदर्भ के उद्देश्य से आंकड़ों तक तेज एवं सरल अभिगम्यता उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवेदन प्रक्रिया को नवीकृत कर दिया है। नयी प्रक्रिया में भारतीय पक्षकार के लिए उसके निवेश और विप्रेषणों के बारे में अधिक विवरण देने की आवश्यकता होगी। नयी योजना किसी भारतीय कारपोरेट संस्था / कम्पनी अथवा व्यक्ति द्वारा संयुक्त उद्यमों, पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए और (nuanced) सूचना के लिए है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कपटपूर्ण ऋणों के लिए बैंक प्रावधान आवश्यक बनाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों के लिए प्रावधान करते समय बासेल-III पूंजी विनियमनों के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

जहां बैंकों को सामान्य रूप से किसी धोखाधड़ी का पता चलने के तत्काल बाद उन्हें प्राप्य सम्पूर्ण रकम के लिए अथवा जिसके लिए वह उत्तरदायी हो (जमा खातों के मामलों सहित) उस रकम का प्रावधान करना चाहिए, वहीं ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, तिमाही लाभ और हानि पर प्रावधानीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे यह प्रावधानीकरण जिस तिमाही में धोखाधड़ी का पता चला हो उससे प्रारंभ होने वाली चार तिमाहियों से अनधिक अवधि में करें।

निजी बैंकों के विलयन के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) तथा बैंकों के बीच विलयन के लिए मुख्य निर्देश जारी किए हैं। विलयनों के सम्बन्ध में इस मुख्य निर्देश के विषय-क्षेत्र में दो बैंकिंग कम्पनियों के समामेलन तथा किसी गैर-बैंकिंग कम्पनी के किसी बैंकिंग कम्पनी के साथ समामेलन का समावेश होगा। दोनों ही मामलों में स्वैच्छिक समामेलन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बाद प्रभावी होगा। एक अन्य मुख्य निर्देश, जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों सहित विविध अधिनियमों के अधीन तैयार किए गए नियमों और विनियमों से सम्बन्धित अनुदेशों को समेकित करने वाला एक संकलन है, में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेर्यर जारी किए जाने तथा उनके मूल्य-निर्धारण के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15,000 करोड़ रुपये के मूल्य के खुले बाज़ार के परिचालन खरीद का संचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि को और अधिक बढ़ाने हेतु 7 अप्रैल, 2016 को 15,000 करोड़ रुपये मूल्य वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) का संचालन किया गया। वर्तमान में पुनर्खरीद (repo) दर 6.50% है, जबकि एक-दिवसीय मांग मुद्रा दर 6.36% है। हाल की नीलामी के सहभागियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट 15,000 करोड़ रुपये की रकम के समक्ष 76,299 करोड़ रुपये प्रदान किए। केन्द्रीय बैंक द्वारा छः सरकारी प्रतिभूतियों - 7.83% जीएस 2018, 8.12% जीएस 2020, 8.08% जीएस 2022, 7.72% जीएस 2025, 8.60 % जीएस 2028 और 7.88% जीएस 2030 की खरीद की गई।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु प्रयासरत

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर ऋण और उन्नत नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कतिपय

कदम उठा रहा है। शीर्ष बैंक ऋणों के ऑनलाइन आवेदन और ऋणपात्रता एवं गारंटी के सम्बन्ध में मुख्य सूचना की सीवन-रहित उपलब्धता की सहायता से आवेदनों की स्थिति का पता लगाने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म की शुरुआत करने के लिए सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्लेटफार्म के लिए मानदंड निर्धारित करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उसके द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्लेटफार्म के प्राधिकरण हेतु रूपरेखा निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों में तयशुदा लेनदेन प्रणाली -आदेश मिलान (NDS-OM) और क्लियरकॉर्प पुनर्खरीद (repo) - आदेश मिलान प्रणाली (CROMS) के अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कारपोरेट बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों और व्युत्पन्नी (derivative) उत्पादों जैसे अन्य वित्तीय लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक लेनदेन प्लेटफार्म आरंभ करने की आवश्यकता का अनुभव किया है।

अर्थव्यवस्था

श्री जेटली को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 7.6% रहने की आशा

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6 % रहने की आशा करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि यह उसकी संभाव्यता से काफी कम है तथा उन्होंने आगामी वर्ष में इस संख्या के बेहतर रहने की आशा व्यक्त की। भारत के दीघावधिक ध्येय/विजन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्री जेटली ने यह संकेत दिया कि सत्तारूढ़ सरकार को ग्रामीण भारत को शहरी भारत में मौजूद सुविधाओं जैसे स्तर पर लाने और उसे समाकलित करने के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य करने हैं।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री सतीश नागपाल	मुख्य सतर्कता अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	उद्यम निधि उद्योग के लिए निधियों की निधि परिचालनों के अधीन सरकारी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए।
फेडरल बैंक	चिल्लर पेमेन्ट	बाद वाले (चिल्लर पेमेन्ट) के कैम्पस वॉलेट को बढ़ावा देने के लिए।

शब्दावली

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी एक देश में स्थित किसी कम्पनी या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित किसी कम्पनी या संस्था में किया गया निवेश होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पोर्टफोलियो प्रवाहों जैसे अप्रत्यक्ष निवेश, जिसमें विदेशी संस्थाएं राष्ट्र के शेयर बाजार की सूची में शामिल इक्विटियों में निवेश करती हैं, से पर्याप्त रूप में भिन्न होता है। प्रत्यक्ष निवेश करने वाली संस्थाएं विशिष्ट रूप से पर्याप्त स्तर के प्रभाव रखने वाली होती हैं तथा उस कम्पनी पर नियंत्रण रखती हैं जिसमें निवेश किया जाता है। कुशल कार्यबल और अच्छी वृद्धि की संभावना वाली खुली अर्थव्यवस्थाएं बंद, अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अपेक्षाकृत बड़ी रकमों आकर्षित कर लेती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

अनर्जक आस्तियां (NPAs)

पट्टाकृत आस्ति सहित कोई आस्ति उस समय अनर्जक आस्ति बन जाती है, जब वह बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थल	तिथि

1	वित्तीय सेवाओं के विपणन की रणनीति तैयार करना	मुंबई	5-5-2016- 7-5-2016
2	अध्ययन दौरा - इजिप्शियन बैंकिंग संस्थान से प्रतिनिधि	मुंबई	9-5-2016-13-5-2016
3	प्रमाणित ऋण अधिकारी	नयी दिल्ली	9-5-2016- 13-5-2016
4	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक	चेन्नै	16-5-2016- 20-5-2016
5	वसूली प्रबन्धन	नयी दिल्ली	23-5-2016- 25-5-2016
6	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक	मुंबई	26-5-2016-29-5-2016

संस्थान समाचार

व्यावसायिक विकास केन्द्र, कोलकाता

संस्थान के व्यावसायिक विकास केन्द्र, कोलकाता का उद्घाटन 20 अप्रैल, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया गया। इस अवसर पर यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह भी उपस्थित थे। इसके बाद भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (CIBIL) के मुख्य उत्पाद अधिकारी श्री दीप मुखर्जी द्वारा "साख गणना" पर एक व्याख्यान और इस विषय पर एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। समारोह में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. जे.एन. मिश्र, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा निदेशक (शैक्षिक) भी उपस्थित थे।

संस्थान का स्थापना दिवस

संस्थान ने 30 अप्रैल, 2016 को अपना 88 वा स्थापना दिवस मनाया जिसकी शुरुआत उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के तीसरे बैच के सहभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने तथा डिजिटल बैंकिंग पर उसकी पहली ई-पुस्तक के विमोचन से हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी समारोह के माननीय मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने मुख्य व्याख्यान दिया।

इस प्रतिष्ठापूर्ण दिवस को उपस्थित अन्य उच्च पदाधिकारियों में श्री अश्वनी कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, देना बैंक और अध्यक्ष, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, श्री के.के. वोहरा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री एम.वी. टंकसाले, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ और श्री ए. पी. होता, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) का समावेश था।

अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा

संस्थान अप्रैल, 2016 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए / धन-शोधन निवारण और ग्राहक सेवा परीक्षा का आयोजन तिमाही आधार पर करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष के 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 1998 के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें **भारत औसत मांग दरें**

6.95
6.9
6.85
6.8
6.75
6.7
6.65

6.6
6.55
6.5

अक्तूबर, 2015, नवम्बर 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016, मार्च, 2016

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर, 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

110
100
90
80
70
60
50

अक्तूबर, 2015, नवम्बर 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016, मार्च, 2016

अमरीकी डालर -- जीबीपी -- यूरो -- येन

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), मार्च, 2016

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000

अक्तूबर, 2015, नवम्बर, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016, मार्च, 2016

स्रोत : बम्बई शेयर बाजार (BSE), मार्च, 2016

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

16
15
14
13
12
11
10
9

अक्तूबर, 2015, नवम्बर, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016, मार्च, 2016

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, अप्रैल, 2016

समग्र जमा वृद्धि %

14
13
12
11
10
9

अक्तूबर, 2015, नवम्बर, 2015, दिसम्बर, 2015, जनवरी, 2016, फरवरी, 2016, मार्च, 2016

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मंथली इकॉनॉमिक रिव्यू, अप्रैल, 2016

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की ओर से प्रकाशित तथा ऑनलुकर प्रेस, 16 सासून डॉक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II., टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज्ञान मई, 2016